



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/पीएच.डी.पंजी./2015/5241

दिनांक : 3/11/15

-:: अधिसूचना ::-

आदेशानुसार अधिसूचित किया जाता है कि, ऐसे समस्त छात्र जो पीएच.डी. शोध कार्य हेतु पंजीकृत है अथवा जिनका पीएच.डी.शोध कार्य चल रहा है, वे आवश्यक रूप से पीएच.डी. अध्यादेश का पालन करें। निर्देशित किया जाता है कि :-

अध्यादेश क्रमांक 12 की कंडिका 11(a), में उल्लेखित "The candidate shall submit six copies of the summary of the thesis to gether with a list of research papers published, communicated for publication, if any, through his supervisor to the Registrar about three months prior to the anticipated date of submission of thesis." एवं

अध्यादेश क्रमांक 90 की कंडिका 23 में उल्लेखित "prior to submission of the thesis, the student shall make a pre-Ph.D. presentation in the Research center preferably in the UTD or the college. The presentation shall be open to all faculty members, research scholars and students to get feed back and comments, which may be suitably incorporated into the draft thesis under the advice of the supervisor." एवं

अध्यादेश क्रमांक 90 की कंडिका 24 में उल्लेखित "The student shall have to publish one research paper in a referred journal before the submission of the thesis and produce evidence for the same in the form of acceptance letter/or the reprint." एवं

अध्यादेश क्रमांक 90 की कंडिका 25(a) में उल्लेखित "The candidate shall submit six copies of the Summary of the thesis together with a list of research papers published/communicated for publication, if any, through his supervisor to the registrar about three months prior to the anticipated date of submission of thesis."

अतः अध्यादेश क्रमांक 12 के अन्तर्गत पंजीकृत शोधार्थियों को कंडिका 11(a), के एवं अध्यादेश क्रमांक 90 के अन्तर्गत पंजीकृत छात्र को कंडिका 23,24, के परिपालन के साथ कंडिका 25 का परिपालन में शोध प्रबंध का सारांश, (Summary) शोध प्रबंध (Thesis) जमा करने से तीन माह पूर्व पीएच.डी.विभाग में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा। अन्यथा शोधार्थियों का पीएच.डी. शोध प्रबंध जमा नहीं किया जायेगा। उपरोक्त प्रावधान का पालन शोधार्थी के शोध निर्देशक एवं शोध केन्द्र के विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक शोधार्थियों के शोध सारांश एवं शोध प्रबंध पर हस्ताक्षर एवं अंगोषित करते समय अध्यादेश 12 की कंडिका 11(a), एवं 90 की कंडिका 23,24 एवं 25 का पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

आदेशानुसार

प्रो.इंचार्ज(अकादमिक)

प्रतिलिपि :-

01. समस्त विभागाध्यक्ष/प्राचार्य,अध्ययनशाला/शासकीय महाविद्यालय,(शोध केन्द्र की मान्यता प्राप्त)शोध केन्द्र,विक्रम विश्वविद्यालय,परिक्षेत्र।
02. प्रभारी,कम्प्यूटर सेंटर,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन से निवेदन है कि,उक्त अधिसूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
03. समन्वयक ऑनलाईन सेंटर,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
04. समन्वयक,आई.क्यू.ए.सी.सेल,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
05. उप/सहायक कुलसचिव,परीक्षा/गोपनीय विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
06. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


अनुभाग अधिकारी(अकादमिक)